राजस्थान सरकार

कार्यालय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर

क्रमांक:- निद 14-5 (6) 2623-24/25

दिनांकः (12/24

खुली निविदा सूचना - 4/2023-24

खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा निदेशालय कार्यालय की पत्राविलयों की स्केनिंग कर्, पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध करवाये जाने हेतु, अनुभवी पंजीकृत फर्म/बोलीदाताओं से मुहरबंद निविदायें आंमत्रित की जाती है—

क्र.स.	कार्य का नाम	पृष्ठों की अनुमानित संख्या	अनुमानित लागत (रूपये में)	बिड प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)
1.	Scanning of approximat 10000 Files	12.00 লাম্ভ NOS. (One Side)	9,00,000 /	200/	18000 / —
2.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय		दि 14.02.2024	03.00 PM	
3.	निविदा खोले जाने की दिनांक व समय		दि 14.02.2024	05.00 PM	

- 1. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि वित्त विभाग (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) द्वारा जारी परिपत्र पं. 6(5)वित्त / साविलेनि / 2019 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसरण में eGRAS के माध्यम से जमा कराना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशिके बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. प्राप्त निविदाओं को क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक व समय पर खोली जायेगी।
- 3. इस निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम व प्रावधान तथा इनमें समय समय पर किए गए संशोधन लागू / प्रभावी होंगें।
- 4. निविदा से सम्बन्धित सभी अधिकार कार्यालयाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगे। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्ते एवं जानकारी कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है तथा विभागीय वेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in (राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल) पर देखा जा सकता है।

अति. निदेशक प्रशासनी य खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर

समसंख्यक : निरे1प-5 (६)१७-१५ | ११८-३८

दिनांक : 1/8/24

प्रतिलिपि सचनार्थ / पालनार्थ:--

- 1. निंजी सचिव, निदेशक महोदय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपूर।
- 2. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) DoIT&C कलेक्ट्रेट उदयपुर को अधिकतम प्रचार-प्रसार करने हेत्।
- 3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. प्रकोष्ट को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- श्रीमान् जिला कलक्टर उदयपुर/आयुक्त देवस्थान/आयुक्त आबकारी/आयुक्त टी.ए.टी./ अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर
- 5. लेखा शाखा / केशियर, कार्यालय हाजा।
- 6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेत्।

अति. निदेशक – प्रशासन खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर

-::ई-फाईल स्केनिंग हेतु तकनीकी बोली प्रपत्र::-

1. बोलीदाता से संबंधित सूचना	ए –
------------------------------	------------

(निविदा संख्या — 4/2023—24)

Sr.No.		DETAILS	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	Name of Bidder			,
2	Business Category: (pl tick)	Company	Sole Proprietorship	Partnership
		Limited Lia	bility Partnership	Other, Pl Specify
3	Registration Number (Also attach relevant certificate)			
4	Address of Correspondence			
5	Mobile No.			
6	GST NO.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7	PAN NO.			
8	E-Mail Address			
9	BANK DETAILS OF BIDDER	Banker's name :	1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
		Branch : Account type : Account number	/IFS Code :	
10	Details of Bid Fee and Bid Security			
	Fee	Receipt No of Bio	f Fee: Dat	e:
		DD/BC No/GRI		Date :
į.		BankName:	***************************************	
11	Any other Details			
		% -		
:		·	Signatu	re of the Bidder with Seal
			(Name _)
			(Designa	ation)

मैं / हम, निविदा सूचना एवं इस प्रपत्र में दी गयी सभी शर्तों से सहमत हूं / है। इसके सभी पृष्ठों पर उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने / हमनें हस्ताक्षर किये है। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम / नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई तथ्य गलत / मिथ्यापूर्ण पाया जाता है तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

2. कार्य का विवरण --

- 1. विभाग में प्राथमिकता से ई-फाइल सिस्टम लागू किया जा रहा है। जिसमें समस्त पत्रावलीयों को स्कैन किया जाना है। इस हेतु कार्यालय निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के समस्त अनुभागों / प्रकोष्ठों की लगभग 10000 से अधिक पत्रावलियों को स्कैन क्र विभागीय आवश्यकतानुसार पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध करवायी जानी है।
- 2. पत्रावलियों को स्कैन कार्य निम्नानुसार किया जाना है-
 - प्रत्येक पत्रावली (File) जिसके दो भाग है— (I) कार्यालय टिप्पणी (Notesheet) एवं
 (II) दस्तावेज / अन्य संबंधित पत्र / संलग्नक (Documents)
 - 2. प्रत्येक पत्रावली को 300 DPI में स्कैन कर PDF File (अधिकतम साईज 50 MB) में Save किया जाना है।
 - 3. स्कैन पश्चात् फाइल को निर्धारित लोकेशन (कम्प्यूटर/पेन ड्राईव फोल्डर) पर अनुभाग (Section) से संबंधित फोल्डर में प्रत्येक फाईल के नाम का अलग फोल्डर बनाकर उसमें पुनः 2 फोल्डर Notesheet एवं Document के नाम से बनाने है।
 - 4. Notesheet Folder में संबंधित फाईल की कार्यालय टिप्पणी (Notesheet) एवं Document Folder में अन्य समस्त स्कैन किये हुये पत्रों/दस्तावेजों को Save किया जाना है।
 - 5. File का नाम निर्धारित प्रारूप "Document Pages <n1>-<n2>" एवं "Notesheet Pages <n1>-<n2>" में ही Save किया जाना है।

For example.:

Document Pages 1-100

Notesheet Pages 1-12

3. बोली से संबंधित सामान्य शर्ते-

- 1. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि वित्त विभाग (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) द्वारा जारी परिपत्र पं.6(5)वित्त / साविलेनि / 2019 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसरण में eGRAS के माध्यम से जमा कराना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क व बोली घोषणा—पत्र के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रतिभूति राशि, अति. निदेशक प्रशासन, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के नाम से डीडी / बीसी / ईग्रांस चालान के रूप में भी निदेशालय, उदयपुर में निर्धारित समय में जमा कराई जा सकती है।
- 2. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- बोली शर्त रहित एवं वित्तीय प्रस्ताव समस्त कर सहित देवें।
- 4. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अति. निदेशक प्रशासन, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को होगा।
- 5. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में बोलीदाता को बोली प्रपत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 6. बोलीदाता बोली भरने से पूर्व अपेक्षित समस्त अर्हताओं एवं दस्तावेजों को स्वयं सत्यापन कर समाधान कर ले कि वह इस बोली हेतु समस्त पात्रताएं पूर्ण करता है। किसी भी स्तर पर गलत सूचनाएं, मिथ्या दस्तावेज आदि पाए जाने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी एवं बोलीदाता के विरुद्ध जो भी कार्यवाही नियमानुसार होगी, की जाएगी।

3

- 7. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि जमा की प्रति/रसीद प्रस्तुत करनी होगी। बोली प्रपत्र शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा। बोलीदाता आर.टी.पी.पी. नियम 42 में वर्णित प्रावधानों के तहत भी बोली प्रतिभूति शुल्क जमा करा सकते है।
- 8. MSME बोलीदाता को बोली प्रतिभूति / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त करने के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं संशोधन दिनांक 29.08.2018 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा बोली प्रतिभूति / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।
- 9. बोली प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 10. बोली दस्तावेजों में परिवर्तनः बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर संकेगी।
- 11. बोलीदाता को निविदा की शर्तो इत्यादि के बारे में कोई संशय हो तो वह ऐसे बिन्दुओं / तथ्यों के संबंध में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर समाधान प्राप्त कर सकेगा।
- 12. बोलीदाता अपनी संविदा को या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडें पर नहीं देगा अर्थात उसे सबलेट नहीं कर सकेगा।
- 13. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना / कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
- 14. निविदादाताओं को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उचित रूप से बोली एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी होगी।
- 15. बोली लिफाफा निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर कार्यालय में क्रय शाखा में कमरा नंबर 236 व्यक्तिरूप से जमा कराये जा सकते हैं अथवा रिजस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जा सकते हैं जो बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त हो जाने चाहिए। लिफाफे पर अति. निदेशक प्रशासन, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में "निविदा संख्या 4/2022—23,"Tender for Scanning of Files" लिखा जाना हैं। यदि लिफाफे पर उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित नहीं किया जाता है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारें में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी।
- 16. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति एवं सहमित स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे —

क्र.स.	विवरण	रिमार्क
1	eGras challan or DD/BC/BG of Bid Fee	
2	Seal & Signed Complete filled Bid Document	
3	Signed Annexure A, B, C, D	
4	Self Attasted Copy of Address proof of Bidder/Firm	
5	Self Attasted Copy of PAN Card of Bidder/Firm	
6	Self Attested Copy of GST Registration Certificate	
7	Self Attested Copy of Firm/Company Registration Certificate	
8	Financial Bid : Annexure E	
9	Documents for Experience/Work order regarding Scanning and Similler work (Photostate, Scanning and Copying, Printing which include Scanning Work) in last Five Years i.e. (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23)	

- 17. बोलीदाता द्वारा कार्यालय में ही स्वयं के स्कैनर का उपयोग कर स्कैनिंग का कार्य किया जाना है। विभाग की तरफ से किसी तरह की मशीनरी एवं कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
- 18. निविदा दस्तावेज में स्केन हेतु पत्रावलीयों की संख्या एवं पृष्ठों की संख्या अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान पत्रावलीयों की संख्या एवं पृष्ठों की संख्या कम/अधिक हो सकती है।
- 19. बोलीदाता द्वारा निविदा में वर्णित अनुसार स्केनिंग की दर प्रति पृष्ठ (एक तरफ की) प्रस्तुत करनी होगी।
- 20. स्केनिंग हेतू पृष्ठ साईज A4/A3/A2/Legal हो सकती है। किन्तु अधिकतम पृष्ठA4 साईज के होंगे।
- 21. बोलीदाता को निविदा में वर्णित अनुसार स्कैंनिंग का सम्पूर्ण कार्य 30 जून 2024 तक सम्पादित किया जाना आवश्यक है। निर्धारित अविध में कार्य समाप्ति नहीं होने की स्थिति में परिसमापित नुकसानी अनुसार राशि की कटौती बोलीदाता के बिलो से की जाएगी।
- 22. उपापन कार्य के निष्पादन हेतु विद्युत आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 23. संविदा अविध में उपापन कार्य के निष्पादन के दौरान उपकरणों / मशीनों के रखरखाव की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

24. करार का निष्पादन:-

- 1. कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
- 2. सफल बोली लगाने वाले को 3 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है। उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 3. यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्देष्ट कालावधि में लिखित उपापनसंविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने मे विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलो में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
- 4. बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर, विनिर्दिष्ट मूल्य 500 / रू. के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधान अनुसार करार निष्पादित करना होगा तथा विभाग को मूल करार पत्र उपलब्ध कराना होगा।

25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-

- 1. सफल बोलीदाता को जिन सामानों (स्टोर्स)/उपकरणों/कार्य/सेवा आपूर्ति के लिये बोलियां स्वीकार की गई है उनके बोली मूल्य की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध निष्पादन के समय कार्य सम्पादन प्रतिभृति के रूप में जमा करानी होगी।
- 2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेंक Addl. Director Administration, Udaipur के नाम स्वीकार किये जाएंगे।
- 4. कार्यादेश अनुसार संतोषप्रद रूप से कार्य करने पर एवें इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- 5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथल कर सकेगी।

- 26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपह्रणः—प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहत किया जा सकेगा :--
 - जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - 2. जब बोलीदाता कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - 3. प्रतिभूति निक्षेप को समपृहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

27. भुगतान :--

- 1. स्केनिंग कार्य का भुगतान वास्तविक स्कैन किये गये पृष्ठों की संख्या के आधार पर ही किया जायेगा। स्कैन किये गये पृष्ठों में ब्लैंक (खाली) पृष्ठों की गणना भुगतान हेतु नहीं की जायेगी।
- 2. भुगतान बोलीदाता द्वारा उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जाएंगे।फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।
- विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- 4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।
- 28. परिसमापित नुकसानी :— परिसमापित नुकसानी के साथ सेवा आपूर्ति अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन कार्यों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता कार्य करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो बोली प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते लागू होगी)
 - 1. विहित अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5%
 - 2. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनिधक के लिए 5%
 - 3. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनिधक अवधि के लिए 7.5%
 - 4. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%
 - 5. कार्य में विलम्ब की अविध की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - परिसमापित नुकसानी कटौति राशि अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
 - 7. यदि बोलीदाता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीखं के बाद करेगा।
 - 8. यदि कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो कार्य की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिसमापित नुकसानी कटौति सहित या रहित की जा सकेगी।
 - 9. परिसमापित राशि की कटौती फर्म के लिम्बत भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।
- 29. वसू ियाँ:—परिसमापित नुकसानी की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी। उपापन संस्था राशि को तब तक रोके रखेगी जब तक कि कार्य संतोषजनक रूप से नहीं कर दिया जाता है। यदि बोलीदाता ऐसा नहीं करता है तो राशि की वसूली उसको देय बकायों में से कर ली जाएगी। यदि कोई कार्य शेष रहे तो उसकी मांग बोलीदाता से की जाएगी तथा जब वसूली संभव न हो, तो उपापन संस्था प्रवृत्त विधि का सहारा लेगी।

- 30. उपापन संस्था न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है। उपापन संस्था किसी भी बोली को स्वीकार करने / स्वीकार न करने / निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। उपापन संस्था का निर्णय वैधानिक तौर से सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा।
- 31. दर संविदा के अधीन कीमते, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। यदि दर संविदाधारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान, माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिवस का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदाधारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदाधारक फर्मों व मूल दर संविदाधारक फर्म, कीमत करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 32. बोलीदाता को बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोली में अंकित सभी शर्तों एवं नियम की स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
- 33. यदि बोलीदाता इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह रिजिस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए उपापन संस्था द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील निर्धारित प्रक्रिया व फीस का भुगतान करने के पश्चात कर सकेगा।
- 34. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्ष (सरकार या ठेकेदार) द्वारा उदयपुर न्यायिक क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
- 35. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के फार्म एसआर—14, 15, 16 एवं 17, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 तथा इनमें समय समय पर किए गए संशोधन प्रभावी होंगें।

अति. निदेशक – प्रशासन खान एवं भूविज्ञान विभाग

उदयपुर

的复数证 医红皮

模型 "特色" [16] 11]

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं / हम अति. निदेशक प्रशासन, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उस्में वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमित देते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे / हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक / प्रक्रियात्मक / मौलिक रूप से सही हैं। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं / हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा / रहेंगें एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी बोली / अनुबंध को निरस्त करने / हमारे विरुद्ध कानून / विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मुहर

राजी की उत्तर

15

and the second of the second

. .

Annexure- A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) Not include in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
- f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
- g) Disclose conflict of interest, if any, and
- h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- 1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:
- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
- e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or
- f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:

Designation:

Address:



Annexure- B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Addl. Dir Udaipur for procurement of M/s	In response to their notice reby declare under Section 7 of Rajasthan al, financial and managerial resources and
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such State Government or any local authority as speci	• •
3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt of administered by a court or a judicial officer, not and not the subject of legal proceedings for any	have my/our business activities suspended
4. I/we do not have, and our directors and officers offence related to my/our professional condumisrepresentations as to my/our qualification within a period of three years preceding the corpor not have been otherwise disqualified pursuant	act or the making of false statements of as to enter into a procurement contract mmencement of this procurement process,
5. I/we do not have a conflict of interest as spe document, which materially affects fair competit	•
	Signature of Bidder with Seal
Date:	Name:
Place:	Designation:
	Address:



Annexure- C: Grievance Redressal during Procurement process

The designation and address of the First Appellate is Director, Mines and Geology, Udaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Secretary/Principal Secretary/ACS Mines, Jaipur.**

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

- 2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.
- 3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

- (a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.
- (b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

3

7. Procedure for disposal of appeal:-

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place

ib) On the Fin

Signature of Bidder with Seal

Name:

Designation:

Address:

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan T	ransparency in	Public Procure	ement Act, 2012
Appeal Noof			
Before the	(First/Second	Appellate Auth	nority) [,]
1. Particulars of Appellant:			
• •			
(i) Name of the appellant:			
(ii) Official address, if any:			
(iii) Residential address:			
2. Name and address of the respondent (s)			
(i)			
(ii)		•.	
(iii)		-	÷
 officer/authority who passed the order (end or mission of the procuring entity in contra the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposed to be represente address of the representative: 	ed by a represe	provisions of t	he Act by which
5. Number of Affidavits and documents enclosed	f with the appea	al:	
6. Grounds of appeal:			
	***************************************	***************************************	***************************************
(supported by an affidavit)			
		$\varphi = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	
7. Prayer:	;		
	•		
Place			
Date			
		Annel	lant's Signature
The same same		, .ppc	
•			

1.00

\$' ~ ·

4



Annexure- D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;
- (ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and
- (iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

Date:		Signature of Bidder with Sea	
Place:	<u>.</u>	Name:	
		Designation:	
		Address:	

0

राजस्थान सरकार कार्यालय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर

क्रमांक:	दिनांक:

Annexure-E:

FINANCIAL BIDS

1.	बोलीदाता अथवा अधिकृत व्यक्ति का नाम
2.	чता
	टेलिफोन नं. (कार्यालय) मोबाईल नम्बर पैन नम्बर

पत्रावलियों की स्केनिंग हेतु वित्तीय बोली

S.no	No of files (Approximate)	Approximate no of Pages to be scanned	Scan Rate per page without GST (in Rs) (one side of page	Total Amount (C4 *C5)(in Rs.)
CI	C2	СЗ	C4	C5=C3*C4
I	10000 files	1200000		
Tota	l Amount in words:		<u> </u>	

GST will be paid extra as per applicable government norms.

स्थान –

दिनांक -

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील